

अधिसूचना

सा.का.नि. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, आशुलिपिक श्रेणी-I, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में आशुलिपिक श्रेणी I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, आशुलिपिक श्रेणी I, समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

4. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद |
|------------------|--|---|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| आशुलिपिक श्रेणी। | 1* (एक) (2022) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये) | लागू नहीं होता। |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|--|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड और संघ राज्य-क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।) | (i) किसी मान्यताप्राप्त सरकारी विश्वविद्यालय से स्नातक। (ii) अंग्रेजी या हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति। (iii) केन्द्रीय/राज्य सरकार विभाग/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों में आशुलिपि के क्षेत्र में तीन वर्ष का कार्यानुभव। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नत और सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। | (i) 50 % प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 50 % मिश्रित पद्धति द्वारा: {प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) के साथ प्रोन्नति}, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| <p>i. प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी II जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>ii. मिश्रित पद्धति {प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) के साथ प्रोन्नति}: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) या समकक्ष में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसएजी), केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक/सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य; 3. कमान अफसर, सैन्य अस्पताल, कसौली या उनके प्रतिनिधि - सदस्य; 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय अनुसंधान अधिकारी, कसौली - सदस्य। | <p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p> |

[फा. सं. ए-12018/21/2014-इपीआई(भाग 1)]

(प्रेम नारायण)
अवर सचिव, भारत सरकार